न्यायालय तहसीलदार गुडामालानी जिला बाडमेर

प्रकरण संख्या 23/2017

प्रार्थी बनाम अप्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये
पटवारी हलका भाखरपुरा

श्री बाबू वल्द दौला
कौम - कल्बी
ग्राम - मघा की ढाणी
तह० - गुडामालानी

दिनांक 28.08.17

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. पटवारी हलका भाखरपुरा

2. अप्रार्थी / ~~अप्रार्थीगण~~ अनुपस्थित बाबू

निर्णय

प्रकरण से संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार हैं । पटवारी हलका भाखरपुरा ने न्यायालय नायब तहसीलदार गुडामालानी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि अप्रार्थी / ~~अप्रार्थीगण~~ ने सरहद मौजा मघा की ढाणी सरकारी भूमि ख.नं. 759/491 ~~1601/491~~ कुल रकबा 143.15, 2.00 किस्म गै. मु. गोचर मेंसे 4.09 बीघा भूमि पर बाड़ बनाकर अनाधिकृत कब्जा किया हैं , अतः इन्हें बेदखल किया जावे । अतः प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी / ~~अप्रार्थीगण~~ को जरिये नोटिस तलब किया गया ।अप्रार्थी से नोटिस तामिल होकर आया , जिसे शामिल पत्रावली किया गया । सर्कल परिवर्तन होने से पत्रावली न्यायालय नायब तहसीलदार गुडामालानी से स्थान्तरित होकर इस न्यायालय के प्राप्त हुई हैं ।

नियत तारीख पेशी दिनांक 28.08.17 को प्रार्थी पटवारी हलका उपस्थित तथा अप्रार्थी / ~~अप्रार्थीगण~~ नोटिस तामिली कें बाबजूद अनुपस्थित , अतः एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

प्रार्थी पटवारी हलका ने अप्रार्थी / ~~अप्रार्थीगण~~ को बेदखल करने का दंडित करने का निवेदन किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Kaushlya
Date: 2024.08.23 11:58:44 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली का अध्ययन तथा अवलोकन किया । उक्त से अप्रार्थी / ~~अप्रार्थीगण~~ के अतिक्रमण की पुष्टि होती हैं अतः अप्रार्थी / ~~अप्रार्थीगण~~ को उक्त भूमि का अतिकमी घोषित किया जाता है तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

अप्रार्थी /अप्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं । यदि मौके पर फसल खडी हो तो नष्ट कर दी जावे। लगान 6.09 रूपये का बीस गुणा 122=00 अक्षरे रूपये एक सौ बाईस रूपये शास्ति जुर्माना आरोपित की जाती हैं , जो वसूल हो । जुर्माना मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार तथा जुर्माना वसूली तथा बेदखली हेतु पटवारी हलका सूचित हो ।

निर्णय दिनाक 28.8.17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया , पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । बाद तामिल दफतर दाखिल हो ।

(जोधसिंह)

तहसीलदार गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Kaushlya
Date: 2024.08.23 11:58:44 IST
Reason: SelfAttested